## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 44 / 2014**

RCMS Case No. 2014/00234

| **प्रार्थीः–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगणः–** |
|---|---|---|
| कुनाराम कलाल पुत्र हेमाराम जाति कलाल निवासी शिवपुरा तहसील सोजत | | 1. विरदीचन्द पुत्र कुनाराम जाति कलाल निवासी शिवपुरा तहसील सोजत हाल निवासी 154 न्यू आनन्द नगर, गोकुलवाडी के पीछे, पाली<br>2. गोपाल मेवाडा पुत्र कुनाराम जाति कलाल निवासी शिवपुरा तहसील सोजत हाल 44 / 117, रावत नगर राईकों की ढाणी, पाली<br>3. ग्राम पंचायत शिवपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुरा |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994**

**उपस्थिति –**

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री कैलाश मकवाना, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 27/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, शिवपुरा द्वारा मिसल संख्या 397 / 2004–2005 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2997 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि ग्राम शिवपुरा में प्रार्थी का पुराना कब्जासुदा मकान स्थित है, जिसमें प्रार्थी अपनी पत्नी सहित निवास करता है। उक्त मकान के उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में सुमली का जाव, पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा एवं पश्चिम में सुमली का जाव स्थित है। उक्त मकान को हडपने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत से मेल मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु किसी प्रकार का आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल की आदेशिका तीन दिनांक को अंकित की गई है तथा सरपंच द्वारा 9 स्थानों पर हस्ताक्षर किए गए है। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा कम्प्युटराईज्ड आदेशिकाओं पर खानापूर्ति की गई है। मिसल पंचायत के कोरम में प्रस्तुत ही नहीं की गई। दिनांक 20.10.2004 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित किया गया तथा इसी दिनांक को पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में

अति० जिला कलक्टर, पाली

पट्टा जारी करने से पूर्व न तो नक्शा तैयार किया तथा न ही कोई रसीद काटी गई एवं न ही वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गइ। बिना मौका निरीक्षण के ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी कर दिया। बयान किन व्यक्तियों के लिए गए, गवाहों का नाम, पता, शख्शियत, सकूनत आदि का इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से तैयार की गई है तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना जारी पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैन निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मकान निर्मित है। अप्रार्थी अपने व्यवसाय के सिलसिले में पाली निवास करते है तथा गांव में आते जाते रहते है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी अथवा अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, शिवपुरा द्वारा मिसल संख्या 397/2004–2005 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2997 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा दिनांक 28.08.2004 को मिसल की प्रथम आदेशिका दर्ज की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी श्री विरदीचन्द, गोपाल मेवाडा द्वारा आबादी भूमि में पुराना कब्जासुदा मकान का अतिक्रमण नियमन कराने का आवेदन किया है। इस पर मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो को नियुक्त किया। मिसल के संलग्न जो नक्शा है, वह सरपंच द्वारा तैयार किया गया है, जबकि नक्शा तैयार करने का दायित्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का होता है। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2004 को पंचो की रिपोर्ट प्रापत होने पर एक माह की आपत्ति आमन्त्रित करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में नोटिस जारी किया, जो किस स्थान पर चस्पा किया गया है, इसका अंकन नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2004 को ही एक माह की अवधि पूर्ण मानते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से किया जाना परिलक्षित होता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी

अति० जिला कलेक्टर, पाली

सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा पारित करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई तथा बिना किसी आवेदन के मिसल में कार्यवाही की गई है, जो विधि सम्मत नही है तथा इस प्रकार पारित की गई आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, शिवपुरा द्वारा मिसल संख्या 397/2004–2005 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2997 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली